2023 | 136

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री गोपालराम पुत्र स्व. श्री हनाराम निवासी डाबी वास रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 31 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.08.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को दिनांक 10.04.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम) के आदेश पर दिनांक 01.09.2022 से 20.02.2023 के मध्य कितने प्रतिनियुक्ति आदेश हुए, उन कार्मिकों की उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं कार्य की अधिकता के कारण उन कार्मिकों से एस.डी.एम. कार्यालय लगाया गया हो तो उन कार्मिकों द्वारा की गई हस्ताक्षरशुदा कार्यवाहियां, उन्हें क्या प्रभार दिया गया एवं क्या कार्य किया, एवं उपरोक्त अवधि में पुनः किसे एवं क्यों कार्यमुक्त किया गया, उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर को दिनांक 10.04.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एस.डी.एम) के आदेश पर दिनांक 01.09.2022 से 20.02.2023 के मध्य कितने प्रतिनियुक्ति आदेश हुए, उन कार्मिकों की उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं कार्य की अधिकता के कारण उन कार्मिकों से एस.डी.एम. कार्यालय लगाया गया हो तो उन कार्मिकों द्वारा की गई हस्ताक्षरशुदा कार्यवाहियां, उन्हें क्या प्रभार दिया गया एवं क्या कार्य किया, एवं उपरोक्त अवधि में पुनः किसे एवं क्यों कार्यमुक्त किया गया, उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/सामान्य/सू.अ.अ./2023/238 दिनांक 20.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner